न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2017 (राजसमन्द आर्डर)

श्री रविन्द्र पिता भरतमल सोनी निवासी केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द दिनांक
12–10–2017 प्रकरण संख्या 23/2017

————/————

उपस्थित :–1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता

————/————

आदेश **दिनांक 15–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 14/2017 में धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम केलवाड़ा की चरागाह भूमि किस्म मगरी आराजी नंबर 963/3 रकबा 51 बीघा में से रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लेने से संबंधित प्रकरण मं अपने निर्णय दिनांक 27–6–2017 से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने, निर्माण ध्वस्त कर बेदखली करने एवं शास्ती का अदेश पारित किया।

तहसीलदार कुम्भलगढ़ के उपरोक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां

अपील संख्या 23/2017 प्रस्तुत की। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–10–2017 से अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज कर दी।

अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत प्रकरण संख्या 14/2017 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 12–10–2017 से रूष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–11–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। भूमि की किस्म मगरी है तथा मौके पर मकान बने हुए है। तेज कंवर की द्वेषतावश शिकायत के आधार पर विधि विरूद्ध एवं अविवेकपूर्ण कार्यवाही कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट की भूमि नियमन योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय के पदमावती बनाम सरकार का पालन नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि भूमि चरागाह किस्म की है तथा आबादी नहीं है। अपीलान्ट जहां एक और भूमि को आबादी की होना बताता है, वहीं दूसरी और उसका नियमन भी कृषि भूमि के रूप में चाहता है, जो स्वयं विरोधाभाषी है। 4 बीघा चराह भूमि पर जो कि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, उस पर न तो पुराना कब्जा प्रमाणित है, न ही चरागाह भूमि पर

अतिक्रमण को निययिमत किया जाना विधिक है। पदमावती बनाम सरकार प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होते।

उपरोक्तानुसार तहसीलदार कुम्भलगढ एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द का आदेश दिनांक 12–10–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)	बनाम	**मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली** ... मुकाम मुक्र्खे.....**27**.....माह.....**11**..... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**08**..... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी..... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**08**..... **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।